चित्रकूट-पुलिस

(1). लोकेशन गैंग माफिया/गैंगेस्टर अपराधी बब्बल उर्फ बजहूल कमर की 01 करोड़ 09 लाख 60 हजार की सम्पत्ति जब्त

जिलाधिकारी चित्रकूट श्री अभिषेक आनन्द एवं पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में अवैध खनन/परिवहन पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में पुलिस अधीक्षक चित्रकूट ने थाना राजापुर में पंजीकृत मु0अ0सं0-113/2023 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त बब्बल उर्फ बजहूल कमर पुत्र समसुल कमर, निवासी छीतेमऊ थाना मऊआइमा, जनपद प्रयागराज के विरुद्ध जिलाधिकारी चित्रकूट को प्रस्ताव भेजा कि यह अपराधी आर्थिक एवं दुनियाबी लाभ प्राप्त करने के लिए अभ्यासिक रूप से चोरी छिपे अवैध खनन के परिवहन हेतु लोकसेवक का लोकेशन लीक कर गाड़ी पास कराने आदि घटनाएं गिरोह के सदस्यों के साथ सक्रिय होकर कारित करने के फलस्वरूप उक्त व्यक्ति द्वारा अवैध रूप से अर्जित धन से अपने तथा अपने सगे भाई अलमास के नाम कय किये गये 03 ट्रक व 01 स्कार्पियो सहित कुल 04 वाहन जिसकी कीमत लगभग 1,09,60,000/-रू० ऑकी गयी है। जिला मजिस्ट्रेट चित्रकूट द्वारा दिनांक 28.05.2024 को शासन के पक्ष में उपरोक्त सम्पत्ति जब्त करने का आदेश पारित किया गया।

(2). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे "मिशन शक्ति अभियान-4" के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/''शक्ति दीदी'' द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

"मिशन शक्ति अभियान-4" व ''शक्ति दीदी'' अभियान के तहत आज दिनांक 29.05.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट महोदय श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया। महिलाओं/बालिकाओँ को "मिशन शक्ति" व ''शक्ति दीदी'' के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई। इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती है।

(3). आज दिनाँक 29.05.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह निर्देशन में लोकसभा चुनाव -2024 के दृष्टिगत शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृण बनाये रखने हेतु थाना/चौकी प्रभारियो द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं

भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया। पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओँ एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया । पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सरकारी शराब की दुकानों को चेक किया गया एवं 02/04 पहिया वाहनों की चेकिंग की गयी ।

(4). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाये जा रहे #OperationConviction के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक राजापुर श्री मनोज कुमार एवं पैरोकार आरक्षी आकाश कुमार द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक अभियोजन अधिकारी श्री पीयूष कुमार द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय सिविल जज (सी0डी0) श्री सचिन कुमार दीक्षित द्वारा थाना राजापुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 01/2024 धारा 04/25 आर्म्स एक्ट के आरोपी अभियुक्त सम्पत्ति प्रजापति पुत्र स्व0 गुलजारी प्रजापति निवासी पटवरिया सानी थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को 05 माह का कारावास व 500/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

(5). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाये जा रहे #OperationConviction के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक राजापुर श्री मनोज कुमार एवं पैरोकार आरक्षी आकाश कुमार द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक अभियोजन अधिकारी श्री पीयूष कुमार द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय सिविल जज (सी0डी0) श्री सचिन कुमार दीक्षित द्वारा थाना राजापुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 295/2023 धारा 04/25 आर्म्स एक्ट के आरोपी अभियुक्त गोपाल पुत्र नरेश रैदास निवासी केवड़ा जिला कैथल हरियाणा को 05 माह का कारावास व 500/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

(6). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में प्रभारी निरीक्षक बरगढ़ श्री राकेश मौर्य द्वारा भोली भाली जनता में भय आतंक फैलाकर गुण्डा गर्दी करने वाली अभियुक्त 1.सूरज शुक्ला पुत्र श्रवण कुमार निवासी बिलरा मजरा रैपुरा 2.माधव प्रसाद चौबे पुत्र स्व0 रामप्रकाश निवासी पटेरी मजरा गोइयां 3.महेंद्र पुत्र समयलाल निवासी बिनोवा नगर कस्बा बरगढ़ 4.शुभम द्विवेदी पुत्र हरिश्चंद्र निवासी कस्बा व थाना बरगढ़ जनपद चित्रकूट के विरुद्ध धारा 110जी सीआरपीसी की कार्यवाही की गयी ।